अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक सुखदेव प्र० राणा ....प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष बालचन्द साव वगैरह ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....166..........**सन् 2021**

धारा 144 **द०प्र०स०**

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
14/09/21	आवेदक सुखदेव प्रसाद राणा, पे० स्व० रैनो मिस्त्री, सा० - बगोदर, थाना - बगोदर, जिला गिरिडीह से प्राप्त आवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है। इस बातसे मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	धारा 144 द० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह के कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 23/09/24 को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी बगोदर से मांगें। विवादग्रस्त भूमि का विवरण:- मौजा- जरमुने, थाना- बगोदर, खाता सं०- 333, प्लॉट सं०- 1855, रकबा- 3.5 डी०, चौ०	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उ० - अनिया देवी, प० - दुर्गा राणा, मु० - महेश साव, प० - सड़क हजारीबाग रोड। लेखापित एवं संशोधित अनु० प० 14/09 बगोदर - सरिया अनु० प० 14/09. बगोदर - सरिया	
23/09/21	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा दाखिल किया गया है। अभिलेख 30/09/21 को रखें। 23/09 अनु० प०प०	
30/09/21	अभिलेख उपस्थापित। पृच्छागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार मौजा - अरगुने में स्थित खाता - 333, प्लाट - 1855, रकबा - 3.5 डी० की भूमि उनके पिता रेशो मिस्त्री को बजरिये केवाला हासिल है। प्रथम पक्ष के द्वारा	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अपने दावे के समर्थन में अपठनीय केवाला की प्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि में उनकी आवासीय मकान निर्मित है जिसकी मरम्मती की जा रही है जिसका बेवजह प्रथम पक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आगे द्वितीय पक्ष का कहना है कि आवासीय परिसर में द.प्र.सं. की धारा-144 के अंतर्गत प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जा सकती है। उक्त विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है तथा दिनांक 14/09/21 को निर्गत निषेधाज्ञा के आदेश को समाप्त किया जाता है। 30/09/21 SDM, Bagodar	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.03.04 12:38:40 +05:30
Location: 192.168.1.10